Legal Express An International Journal Of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-II June 2020

महिला सशक्तिकरण में सोशल मीडिया का योगदान

श्रीमती रीना दोहरे
शोधार्थी (विधि)
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संक्षिप्त रूप:-

पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर आजाद भारत वर्ष को विकासशील बनाने में जितना योगदान पुरूषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। आज महिलायें अपने अधिकारों को लेकर अत्यंत जागरूक एवं गंभीर हो गई हैं व मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिये सजग एवं सतर्क हो गई हैं। फिर उनकी जागरूकता का जरिया चाहे उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान या फिर मीडिया ही क्यों न हो। मीडिया का महिला सशक्तिकरण में अपना अलग ही योगदान है जिसमें फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप, गुगल या अन्य प्रकार के ऐप जिनसे महिलाओं को विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारियाॅ प्राप्त होती है तथा यह उनके सम्प्रेषण का एक अच्छा माध्यम भी है।

महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये 73वां संविधान संशोधन द्वारा उन्हें अनुच्छेद-243 (सी) में महिलाओं का पंचायत के चुनाव में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। यह कदम एक सार्थक कदम था जिससे महिलाओं को अपने आपको प्रस्तुत करने का एक मौका मिला। इसके अरिक्त आये दिन मीडिया पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेकर वह अपने आपको प्रस्तुत करती रहती हैं।

शब्द कुंजी:- महिला सशक्तिकरण, जागरूकता, मीडिया, प्रस्तुतीकरण।

प्रस्तावना:-

"उठो नारी तुम सबला हो
सामाजिक कुरीतियों पर वार करो
सम्मान करो संविधान का
और समानता की बात करो
जगत जननी हो तुम ही
अपने अधिकारों के साथ रहो
जब कोई भी नही सुने तुम्हारी
तो मीडिया द्वारा प्रहार करो
तुम्हारे लिये कानून, बहुत हैं बने
अपने अधिकारों की पहचान करो

आगे बढ़ो जुर्म से लड़ो
न डरो किसी से अत्याचार का संहार करो।

मनुस्मृति के अनुसार प्राचीनकाल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल माना जाता था। पुरूष प्रधान व्यवस्था होने के बाद भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। परंतु मध्यकाल में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही तथा उतनी प्रगतिशील भी नहीं थी। ब्रिटिशकाल में कई कुरीतियों का जैसे सतीप्रथा, बाल-विवाह आदि का विरोध हुआ परन्तु उतना असर समाज पर नहीं पड़ा जितना कि आज देखने को मिलता है।

स्वतंत्रता के पश्चात महिला संगठनों व महिला आयोग के प्रयास से उनका विकास संभव हो रहा है तथा आज उनकी बदलती स्थिति में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनैतिक क्षेत्र हो या परिवार व खेल का मैदान हो, वकालत का पेशा हो या विज्ञान का क्षेत्र हो हर जगह महिला का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। विभिन्न कुरीतियों व बाधाओं से निबटने के लिये यह आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाये ताकि वह अपने अधिकारों को जान सके व अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिये मीडिया का सही उपयोग कर सके।

86वां संविधान संसोधन द्वारा संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया जिससे न केवल हमारे गरीब बेटे बल्कि बेटियों की शिक्षा में भी बढ़ोत्तरी हुई है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को अनुच्छेद-15 द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा अनुच्छेद-39 (डी) समान कार्य के लिये समान वेतन की बात करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद-19(ए) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे पुरूष हो या नारी सभी को अपनी बात कहने का समान अधिकार है जिससे समाचार पत्र पत्रिकायें शोशल मीडिया पर महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई जिसमें महिला कर्मचारियों को प्रधानता प्रदान की गई तथा नये कम्पनी अधिनियम के अनुसार निवेशक मण्डल में एक महिला का होना अनिवार्य है। इस प्रकार के कार्य महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन का कार्य करते है।

मीडिया के प्रभाव:-

राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को सुरक्षा व शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिये। टेक्नोलाॅजी के जमाने में केवल पुरूष ही नहीं बल्कि महिलायें भी सोशल मीडिया में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। प्राचीन समय में जहाँ महिलाओं को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं था वही आज महिलायें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक व समाज तक पहुँचा रही है। कुछ कार्य तो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में हमारी मदद करते हैं जैसे- कम उम्र में बेटियों की शादी करना आज भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों में कानून होने के बावजूद भी किया जा रहा है। तत्पश्चात उन्हीं की शादियों में बेटियों का मण्डप से उठ जाना या शादी से इंकार कर देना इसी प्रकार दहेज के कारण बारात को लौटा देना आये दिन समाचार-पत्रों में व मीडिया द्वारा दिखाया जाता है जिसमें हो सकता है कि उनके परिवार और समाज के लिये वह सही न हो लेकिन अन्य बेटियों व समाज के लिये यह एक मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। ताकि वह भी सशक्त हों एवं स्वयं महिलायें अपने अधिकारों को जानने के लिये जागरूक हों।

मीडिया द्वारा महिलाऐं न केवल स्वयं बल्कि समाज की अन्य दबी कुचली महिलाओं के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बनती जा रही है तथा पीछे रहने वाली महिलाओं की सोच बदल रही हैं। क्योंकि जब महिलायें अपनी योग्यता और उपलब्धियों को मीडिया पर दिखाती हैं तो अन्य महिलायें जो अपने अधिकारों को नहीं जानती या जो किसी कारण वश अपने को आगे नहीं बढ़ा पा रही है वह भी मीडिया द्वारा प्रेरणा लेकर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

जो महिलायें अपनी नौकरी की व्यस्तता के कारण अपने जीवन पर कम ध्यान दे पाती हैं वह भी मीडिया द्वारा उनसे समय- समय पर जुड़ी रहती हैं व आपस में बातचीत द्वारा सामाजिक जानकारी प्राप्त करती रहती हैं। मीडिया द्वारा वह अपने ज्ञान को बढ़ा रही है तथा अपनी सीमाओं की बेड़ियों को तोड़कर अपना बर्चस्व स्थापित कर रही हैं। चाहें हम लक्ष्मीबाई की बात करें या आज की विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं जैसे- चन्द्रा कोचर, कल्पना चावला, सुमित्रा महाजन आदि को जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्र में अपना परचम लहराकर यह साबित किया है कि महिलायें पुरूषों से कम नहीं हैं बल्कि वह घर के साथ-साथ दुनिया को चलाने का साहस भी रखती हैं।

दुष्प्रभाव:-

किसी भी वस्तु या टेक्नोलाॅजी की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें अच्छाईयाँ ही ढूँढते हैं और सकारात्मकता की ही बात करते हैं। परन्तु उसका दूसरा पहलू भी होता है जो नकारात्मक होता है तथा जो अत्यंत ही डरावना व भयावह भी रहता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। महिलायें जो पुराने समय में भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं में रहती थी वह आज पाश्चात्य शैली को अपनाने लगी हैं। उनका रहन-सहन उनके समाज से मेल नहीं खाता। आज बच्चे सारे-सारे दिन मोबाईल पर ही अपना समय बिता रहे हैं, कामकाजी महिलायें अपने काम के समय में मोबाईल चलाती दिखती है जिससे न केवल वह अपना समय खराब करती है बल्कि काम को भी बिलम्ब से करती है। अनावश्यक चेट करना, फर्जी आई.डी. बनाकर लोगों को गुमराह करना व कई ऐसे अपराध है जो मीडिया द्वारा महिलाओं के साथ होते रहते हैं। जो मीडिया पर अनावश्यक समय देने का परिणाम हैं।

निष्कर्ष:-

भारत एक विकासशील देश है जहाँ हर क्षेत्र में विषमताऐं पाई जाती है जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। अपवाद तो हर बात पर होता है परन्तु यदि आगे बढ़ना है तो नकारात्मक पहलू को छोड़कर सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा जिनमें मीडिया महिलाओं की सफलता के लिये एक अच्छा संसाधन है जिससे वह न केवल सामाजिक जानकारी एकत्रित करती हैं बल्कि समाज में अपना प्रस्तुतीकरण भी करती है। वह पीछे रह गई महिलाओं के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बनता जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. जे.एन. पाण्डे, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 39वां संस्करण।
2. मनमोहन जोशी, विधिक एवं सामाजिक निबंध, पूजा लॉ हाउस, इंदौर।